

सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

## (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

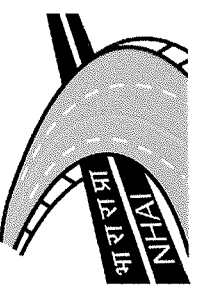
### National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - शिमला, हाउस नं. 1, रश्मिकेश सदन, चक्कर, शिमला (हि.प्र.), फोन : 0177 - 283 0419

Regional Office-Shimla, House No. 1, Rishikesh Sadan, Chakkar, Shimla (HP)-171005, Ph: 0177-2830419

Email: rohimachalpradesh@nhai.org & ronhaihp@gamil.com



NHAI/RO/HP/11011/95/Tender/2023-24/04 | 2521

23<sup>rd</sup> Feb, 2024

#### कार्यालय आदेश

Sub: Consultancy services for Supervision Consultant for Operation and Maintenance of Four laning of Takoli Kullu section of NH-21 (New NH-03) from km. 242.000 to km. 272.000 (Designed Chainage) on EPC Mode in the state of Himachal Pradesh.

संबंधित कार्य के लिए तकनीकी और वित्तीय निविदाओं को खोलने और मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

| क्रमांक | विवरण                 | पदनाम                                                                                      | टिप्पणी |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.      | श्री वरुण चारी        | परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई: मंडी    | संयोजक  |
| 2.      | श्री विक्रम सिंह मीना | परियोजना निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई: हमीरपुर  | सदस्य   |
| 3.      | श्री अन्तरिक्ष ठाकुर  | उप प्रबंधक (तकनीकी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय- शिमला        | सदस्य   |
| 4.      | श्री शेख फखरुद्दीन    | प्रमुख (वित् एवं लेखा इकाई) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय- शिमला | सदस्य   |

2. उपरोक्त कार्य के लिए दिनांक 23.02.2024 (समय 03:00 PM) को तकनीकी निविदाएं खोलने और मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति की बैठक निर्धारित है।

3. अनुरोध है की बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

  
(अब्दुल बासित)  
क्षेत्रीय अधिकारी - शिमला (हि. प्र.)  
अन्तर्ग

प्रतिलिपि :-

1. समस्त समिति सदस्य।
2. कार्यालय आदेश फाइल और संबंधित फाइल।